पत्रांक– Edu/PM Poshan (MDM) Sec-08/85/2026.....1122

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय।

प्रेषक,

विनायक मिश्र, भा०प्र०से०
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
मध्याह्न भोजन योजना, बिहार।

पटना, दिनांकः–.....16/04/26

विषय– पी०एम० पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए Tab Based निरीक्षण के आधार पर जिलों की साप्ताहिक रैंकिंग रिर्पोट तैयार करने हेतु मापदंड निर्धारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक– 07.04.2026 को आयोजित विभागीय V.C. में प्राप्त निदेश के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गई। इस योजना के तहत बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। पी० एम० पोषण योजना के सफल संचालन हेतु प्रखंड साधन सेवियों के द्वारा किये जा रहे निरीक्षण/अनुश्रवण के अतिरिक्ति जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा भी प्रतिदिन विद्यालयों का सतत् निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। निरीक्षण के क्रम में दोषी शिक्षकों/कर्मियों/स्वयं सेवी संस्थाओं पर कार्रवाई भी किया जाना है।

इस योजना के सुदृढ़िकरण हेतु निर्णय लिया गया है कि जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किये गये Tab Based निरीक्षण के आधार पर जिलों का साप्ताहिक/माहवार रैकिंग रिर्पोट तैयार किया जाय। कार्य को बेहतर ढ़ग से करने एवं निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के लिए निम्नवत् 06 बिन्दुओं पर प्रश्नावली तैयार किया गया है जिसके आधार पर साप्ताहिक रैंकिंग की जायेगी।

A विद्यालयों का निरीक्षणः–

विद्यालयों के निरीक्षण हेतु निर्धारित संख्या	जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये गये विद्यालयों की कुल संख्या।	अंक का निर्धारण (अधिकतम अंक 25)
	XXX	XXX

B भौतिक उपस्थितिः–

निरीक्षित विद्यालयों की संख्या जिसमें बच्चों की भौतिक उपस्थति पंजी के अनुसार है।	माह में कुल निरीक्षित विद्यालयों के आलोक में पंजीनुसार सही भौतिक उपस्थिति वाले विद्यालयों की संख्या का प्रतिशत	अंक का निर्धारण (अधिकतम अंक 15)
XXX	XXX	XXX

C मध्याह्न भोजन का मेनू

मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन दिये जाने वाले विद्यालयों की संख्या	माह में कुल निरीक्षित विद्यालयों के आलोक में मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन दिये जाने वाले विद्यालयों की संख्या का प्रतिशत	अंक का निर्धारण (अधिकतम अंक 15)
XXX	XXX	XXX

D भोजन की मात्रा

मात्रा के अनुसार मध्याह्न भोजन दिये जाने वाले विद्यालयों की संख्या	माह में कुल निरीक्षित विद्यालयों के आलोक में मात्रा के अनुसार मध्याह्न भोजन दिये जाने वाले विद्यालयों की संख्या का प्रतिशत	अंक का निर्धारण (अधिकतम अंक 15)
XXX	XXX	XXX

E भोजन की गुणवत्ता

गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन दिये जाने वाले विद्यालयों की संख्या	माह में कुल निरीक्षित विद्यालयों के आलोक में गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन दिये जाने वाले विद्यालयों की संख्या का प्रतिशत	अंक का निर्धारण (अधिकतम अंक 15)
XXX	XXX	XXX

F रसोई–सह–भंडारगृह की साफ–सफाई

रसोई–सह–भंडारगृह की संतोषप्रद साफ–सफाई वाले विद्यालयों की संख्या	माह में कुल निरीक्षित विद्यालयों के आलोक में रसोई–सह–भंडारगृह की संतोषप्रद साफ–सफाई वाले विद्यालयों की संख्या का प्रतिशत	अंक का निर्धारण (अधिकतम अंक 15)
XXX	XXX	XXX

स्पष्ट करना है कि:–

- Tab Based निरीक्षण का मानक जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (म०भो०यो०) एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (म०भो०यो०) के लिए लागू होगा।
- उपरोक्त वर्णित तालिका के अनुसार A के लिए 25 अंक एवं B से लेकर F तक के लिए 15–15 अंक प्रत्येक यानि कुल 100 अंक निर्धारित है।
- इन्हीं अंकों के आधार पर जिलावार साप्ताहिक रैंकिंग निर्धारित की जायेगी तथा साप्ताहिक रैंकिंग के आधार पर मासिक रैंकिंग भी की जायेगी।

अतएव निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त 06 बिन्दुओं (A से लेकर F तक) के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों का Tab Based सतत् अनुश्रवण /निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निरीक्षण से संबंधित दर्ज आंकड़ों के आधार पर जिलावार रैंकिंग (Ranking) निर्धारित की जायेगी।

विश्वासभाजन

(विनायक मिश्र)
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार पटना।

ज्ञापांकः–1122/दिनांकः–16/04/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनायक मिश्र)
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार पटना।